रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228305
CG-DL-E-15072021-228305

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943
No. 286] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठां संशोधन) विनियम, 2021

सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम २०१३ (२०१३ का २३) की धारा ५२ की उपधारा २ के उप-खंडों (ङ), (ड), (ढ), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा ५२ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठां संशोधन) विनियम, २०२१' है।
2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, २०१५ में:-

(I) विनियम ८ में उप-विनियम १ के खंड (छ) की पंक्ति संख्या ३ में शब्दों "उन्नचास प्रतिशत" को "चौहत्तर प्रतिशत" से प्रतिस्थापित किया जाएगा |

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./150/2021-22]

पाद-टिप्पणी

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, २०१५ को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में १९ मई, २०१५ को प्रकाशित किया गया ।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, २०१६ को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में ८ सितम्बर २०१६ को प्रकाशित किया गया।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, २०२० को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, ५ फरवरी २०२० को प्रकाशित किया गया।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, २०२० को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, १४ मई २०२० को प्रकाशित किया गया ।
5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, २०२१ को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, १ अप्रैल २०२१ को प्रकाशित किया गया ।
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम, २०२१ को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, २५ मई २०२१ को प्रकाशित किया गया ।

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 namely, —

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Sixth Amendment) Regulations, 2021.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015: —

(I). In regulation 8, in clause (g) of sub-regulation (1), in line 3, the words "forty nine per cent." shall be substituted with "seventy four per cent.".

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./150/2021-22]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 19th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India on 8th September, 2016 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 5th February, 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 14th May, 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 1st April, 2021 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
6. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 25th May, 2021 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.07.15 16:08:52 +05'30'